छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 2484/2004

याचिकाकर्ता : गजेंद्र सिंह साहू, पिता जालम सिंह, आयु 53 वर्ष,सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय– पाण्डुका, विकासखंड – छुरा , जिला रायपुर (छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा : सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास मंत्रालय विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ०ग०)

2) कलेक्टर, रायपुर (छ०ग०)

3) राणा प्रताप सिंह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर, विकासखण्ड मैनपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र . 2484/2004

याचिकाकर्ता : गजेंद्र सिंह साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 15 जून, 2006 को सूचीबद्ध करें।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र . 2484/2004

याचिकाकर्ता : गजेंद्र सिंह साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता के लिए श्री वाई. सी. शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए श्री वी. वी. एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता सहित श्री आई. एन. श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्र . 3 के लिए श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(15 जून, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:–

1. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.7.2004 के स्थानांतरण आदेश (अनुलग्नक पी/1) पर आक्षेप किया है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता, जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत था, को प्राथमिक विद्यालय पांडुका, विकासखण्ड–छुरा से प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, विकासखण्ड–मैनपुर में इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया था कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से शक्तियों का दुरपयोग करते हुए पारित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री वाई. सी. शर्मा ने तर्क व्यक्त किया हैं कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश धर्मेंद्र साहू द्वारा की गई दायर शिकायत के आधार पर पारित किया गया था। श्री धर्मेंद्र साहू याचिकाकर्ता को कुछ लकड़ी बेचना चाहता था और चूंकि याचिकाकर्ता ने श्री धर्मेंद्र साहू से उक्त लकड़ी खरीदने से इनकार कर दिया था, इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। यह भी आगे कथन किया गया था कि याचिकाकर्ता के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उक्त श्री धर्मेंद्र साहू ने याचिकाकर्ता और एक श्री विक्रमादित्य साहू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506–ख सहपठित धारा 34 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध कारित किये जाने के विरुद्ध प्र०सू० रिपोर्ट दर्ज कराया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आरोपों के आधार पर तर्क दिया कि उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 द्वारा शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के कारण आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दोषपूर्ण हो गया है।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी. वी. एस. मूर्ति सहित पैनल अधिवक्ता श्री आई. एन. श्रीवास्तव ने उपरोक्त आरोपों और इस तर्क का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि स्थानांतरण का आदेश शक्तियों दुर्भावनापूर्ण रीती से प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता पिछले 19 वर्षों से अधिक समय से प्राथमिक विद्यालय पंडुका में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। याचिकाकर्ता राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त था, जैसा कि सरपंच, ग्राम पंचायत पाण्डुका द्वारा की गई शिकायत से स्पष्ट है। विकासखण्ड विकास अधिकारी द्वारा सरपंच की शिकायत दिनांक 9.7.2004 पर उचित जांच की गई थी। जांच में विकासखंड विकास अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता खुले तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त था और

उसने विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उक्त रिपोर्ट सहायक आयुक्त, जनजातीय कल्याण विभाग, रायपुर को दिनांक 22.9.2004 को प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जनहित में और याचिकाकर्ता की अनुचित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण किया गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उत्तरवादीगण द्वारा दायर याचिका और दस्तावेजों से जुड़े अभिलेखों के परिशीलन उपरांत यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश श्री धर्मेंद्र साहू द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर नहीं अपितु सरपंच द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर पारित किया गया था, जिसकी उचित रूप से जांच की गई थी और उत्तरवादियों ने जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के बाद, याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय पाण्डुका, विकासखण्ड छुरा, जिला–रायपुर से प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, विकासखण्ड–मैनपुर, जिला रायपुर में स्थानांतरित कर दिया था। याचिकाकर्ता की चुनौती किसी अन्य आधार पर नहीं है, सिवाय शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के आधार पर, जिसे याचिकाकर्ता स्थापित करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण के प्रकरण में, याचिकाकर्ता के आचरण के आधार पर, कोई नोटिस आवश्यक नहीं है, जैसा कि **भारत संघ एवं अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ एवं अन्य {(2004) 4 एससीसी 245}** के प्रकरण की कंडिका 14 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> "14. उत्तरवादीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और उसका आचरण निश्चित रूप से अशोभनीय है। क्या कोई दुर्व्यवहार हुआ था, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभागीय कार्यवाही में विचार किया जा सकता है। स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या अनुचित आचरण किया गया था, जांच करने का प्रश्न अनावश्यक है और घटना, जिसकी शिकायत की गई है, के बारे में समकालीन प्रतिवेदनों पर संबंधित प्राधिकारी की प्रथम

दृष्टया संतुष्टि की आवश्यकता है और यदि, जैसा कि उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है, विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है तो लोकहित या प्रशासन की अनिवार्यताओं में किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने का मूल उद्देश्य शिष्टाचार को लागू करना और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना होगा। यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादियों को किसी भिन्न प्रभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, नियोक्ता के लिए विचारणीय विषय है, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासन के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान की सीमा पर निर्भर करता है। यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह एक या दूसरे तरीके से निर्देश दे। उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से समर्थन योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। हमारे समक्ष दायर रिट याचिकाएं निरस्त किए जाने के योग्य हैं, अतः हम इन्हें निरस्त करने का निर्देश देते हैं। अपीलें स्वीकार की जाती हैं, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

7. उचतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध सिया राम और अन्य** {(2004) 7 **एससीसी** 405) प्रकरण में नीचे दिया गया निम्नानुसार निर्धारित किया या है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" .....किसी परंतु सार्वजनिक उपक्रम के किसी शासकीय सेवक या कर्मचारी को उसकी पसंद के किसी एक विशेष स्थान पर हमेशा के लिए पदस्थ रहने का विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, अपितु सेवा की एक शर्त है, जो जनहित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी आवश्यक है। जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है या ऐसे किसी भी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण सामान्यतया नियमित रूप से ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वे अपीलीय प्राधिकारी थे, जो नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित कर रहे थे, जबकि ऐसे आदेश संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित किए जाते थे। इस स्थिति को इस न्यायालय ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विरुद्ध श्री भगवान मामले में उजागर किया था।"

8. **राजेंद्र रॉय विरुद्ध भारत संघ और अन्य (एआईआर 1993 एससी, 1236)** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

> ".....वास्तव में द्वेष को सीधे तौर पर स्थापित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। किसी उपयुक्त मामले में, दलीलों और पूर्ववर्ती तथ्यों और परिस्थितियों से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का उचित निष्कर्ष निकालना संभव है। लेकिन ऐसे अनुमान के लिए प्रस्तुत और स्थापित तथ्यों का ठोस आधार होना चाहिए। आक्षेप और अस्पष्ट सुझावों के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ..... "

9. यहां उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार, यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है और इसे निरस्त किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों में, वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ठाकुर

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**